



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271973
CG-DL-E-22042026-271973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2026/वैशाख 1, 1948

No. 276]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2026/VAISAKHA 1, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 300(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा

(1) और (2) के साथ पठित धारा 396, 398, 399, 403 और 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में, अनुसूची में, मद VII और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(VII) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के अधीन प्ररूप संख्या डीआईआर -3 केवाईसी वेब फाइल करने के लिए शुल्क,-

प्ररूप संख्या डीआईआर-3 केवाईसी वेब के लिए शुल्क	राशि (रु.)
(i) यह प्ररूप कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के उप-नियम (1) में उपबंधित समय-सीमा के भीतर फाइल किया जाता है।	शून्य
(ii) यह प्ररूप क्रम संख्या (i) में निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद फाइल किया जाता है, या डीआईएन के पुनः सक्रियण के लिए फाइल किया जाता है	5000
(iii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के उप-नियम (2) में किए गए उपबंध के अनुसार किसी भी परिवर्तन के लिए किसी भी समय प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी वेब फिर से फाइल किया जाता है।	500 (प्रत्येक फाइलिंग के लिए)

[फा. सं. 01/16/2013-सीएल-V (भाग- I)]

बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, असाधारण, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 268 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 360 (अ) तारीख 30 मई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2026

G.S.R. 300(E).— In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, for item VII and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"(VII) FEE FOR FILING Form No. DIR-3 KYC Web under Rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014,—

Fee for Form No. DIR-3 KYC Web	Amount (Rs.)
(i) The form is filed within the timeline provided in sub-rule (1) of rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014.	NIL
(ii) The form is filed after the timeline referred to in serial number (i), or filed for re-activation of DIN	5000
(iii) Form DIR-3-KYC Web filed again at any time for any change as provided in sub-rule (2) of rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014.	500 (for every filing)

[F. No. 01/16/2013-CL-V (Pt-I)]

BALAMURUGAN D., Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extraordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, *vide* number G.S.R. 360(E) dated the 30th May, 2025.